उ० प्र० में आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर के गांवों का विद्युतीकरण

2594. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) 31 अक्तूबर 1998 की स्थिति के अनुसार कितने गांवों का विद्युतीकरण अभी किया जाना है; और

(ग) इन दोनों जनपदों के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ जिले में विद्युतीकृत गांवों की संख्या नीचे दी गई है:

		1995-96	1996-97	1997-98
मुजफ्फरनगर	नये गांवों का विद्युतीकरण	2	17	3
आजमगढ़	नये गांवों का विद्युतीकरण	35	3	16

(ख) 31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार अभी विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या निम्नवत है:—

जिला	गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या 31.10.1998 की स्थितिनुसार
मुजफ्फरनगर	214
आजमगढ़	2523

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत् प्रक्रिया है तथा उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ जिलों में शेष गांवों का विद्युतीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति, पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के नेटवर्क तथा अन्य संबंधित घटकों पर निर्भर करता है।

राज्य में विद्युत का वार्षिक उत्पादन

2595. **श्री चीमनभाई हरिभाई शुक्ला:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन किया गया तथा मांग और खपत कितनी-कितनी रही;

(ख) उक्त अवधि में, मांग, खपत और उत्पादन के बीच अंतर का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) केन्द्रीय विद्युत पूल में प्रत्येक राज्य के लिए आरक्षित विद्युत का प्रतिशत क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) और (ख) गत पंच वर्षों के दौरान उर्जा उत्पादन के राज्यवार आकड़े अनुबंध में दिये गये हैं। [देखिए परिशिष्ट 185, अनुपत्र सं० 65] उर्जा की आवश्यकता, उपलब्धता ओर कमी के राज्यवार आकड़े अनुबंध में दिये गये हैं। [देखिए परिशिष्ट 185, अनुपत्र सं० 65]

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

(घ) सूचनाएं अनुबंध में दी गई हैं। [देखिए परिशिष्ट 185, अनुपत्र सं० 65]